न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 03 / 2022

प्रार्थीगण

1. देवी पत्नी स्व. लक्ष्मणराम जाति माली निवासी— बेरा नोकडा, मसानिया, सोजतसिटी तहसील— सोजत।
02. उन्दरराम पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी— बेरा नोकडा, मसानिया, सोजतसिटी तहसील— सोजत।
03. रामचन्द्र पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी— बेरा मगरिया, सोजतसिटी।
04. वेनाराम पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी— बेरा मगरिया सोजतसिटी, तहसील— सोजत सिटी।

बनाम

अप्रार्थीगण

01. मृतक रामचन्द्र पुत्र पन्नाराम वारिसान—
    01 / 01 कंचन पत्नी रामचन्द्र जाति माली निवासी— पावटी का बास, सोजत
    01 / 02 घनश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी— बेरा नोकडा, मसानिया सोजतसिटी।
    01 / 03 ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति माली विासी— पावटी का बास, मालियो की हथाई वाली गली, सोजतसिटी।
    01 / 04 शोभा पुत्री रामचन्द्र पत्नी रमेशचन्द्र जाति माली निवासी— बेरा बिजुडिया, धन्धेडी रोड, सोजतसिटी।
    01 / 05 शशि पुत्री रामचन्द्र पत्नी ओमप्रकाश जाति माली निवासी— बेरा पीच, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने, सोजतसिटी।
02. संतोष पत्नी गणपतलाल जाति माली, निवासी— तालाव की पोल के पास, मालियों का बड़ा बास, सोजतसिटी।
03. किशनलाल पुत्र सुजाराम जाति माली निवासी— एमएलटी फार्म हाउस, बेरा पीच, सोजतसिटी।
04. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत, जिला— पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 17/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के पालित विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चक प्रथम पटवार हल्का सोजतसिटी सोजत में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 5071, 5072, 5073, 5075, 5076 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.3000 हैक्टर की भूमि आई है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 01 / 02 हक हिस्सा प्रार्थी संख्या 02 का 01 / 12 हक हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 का 01 / 12 हक हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 04 का 01 / 12 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 रामचन्द्र के वारिसान का 01 / 12 हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 का 01 / 12 हक हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 03 का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

01/12 हक हिस्सा खातेदारी का दर्जसुदा स्थित है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का विधिवत वंटवाडा वाई मिट्स एण्ड वाउण्डस किया हुआ नहीं है। केवल सभी खातेदारों के वीच मौखिक वंटवाडा किया हुआ है। पूर्व में प्रार्थी संख्या 01 के प्रिन्सिपल विकेता शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल एवं अन्य प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के वीच मौखिक वंटवाडा किया हुआ है। प्रार्थी संख्या 01 वक्त खरीद से उनके प्रिन्सिपल विक्रेता द्वारा सुपुर्द की गई कब्जासुदा भूमि पर काविज काश्त है तथा अपने अपने वंट व हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग अलग अलग करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी कृषि भूमि का वंटवाडा वाई मिट्स एण्ड वाउण्डरा किया हुआ नहीं होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के वीच मौके पर धोरा–पाली एवं माठो को लेकर वाद विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बाधा अवरोध एवं दखअंदाजी करते रहते है। प्रार्थीगण अपने वंट एवं हिस्से की कृषि भूमि में दिनांक 27.08.2021 को काश्त कर रहे थे, उस समय अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को वेदखल करने के आशय से वाद विवाद शुरू किया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को एलानिया कहा कि इस वर्ष तो आपने फसल की बुआई करवा दी। लेकिन अगले वर्ष आपको काश्त नहीं करने देंगे। तव प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि तहसील कार्यालय चलकर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का माप चौक करवा लो, तब अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का वंटवाडा करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा एलानिया कहा कि ना तो वंटवाडा करने देंगे तथा ना ही वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में काश्त करने देंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके खसरा नम्वर 5071, 5072, 5073, 5075, 5076 कुल खसरा 05 कुल रकवा 0.3000 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का 01/02 हक हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 का 01/12 हक हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 का 01/12 हक हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 04 का 01/12 हक हिस्सा की कृषि भूमि के कब्जे काश्त में बाधा अवरोध एवं दखलअंदाजी ,वेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01/01 लगायत 01/05 बार बार आवाजें दिलाए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से दिनांक 02.11.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पराज देवड़ा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 वव 03 तथा अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से दिनांक 17.11.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वादस्थ भूमि सयुंक्त कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है। चूकि मौके पर उभय पक्ष अपने अपने हिस्से पर कायम है। लिहाजा वाद निर्णय तक उभय पक्षो को एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय

उप खण्ड अधिकारी

की सादिर की जाती है सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 5071, 5072, 5073, 5075, 5076 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.3000 हैक्टर की कृषि भूमि में उभयपक्षों को एक दुसरे के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 17/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत